निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1948 (श0)

(सं0 पटना 1162) पटना, सोमवार, 28 सितम्बर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2026

एस० ओ० 219, दिनांक 28 सितम्बर 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–34 की उपधारा 5 एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 32(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ उन कारखानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार को मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

2. मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक की योग्यताएं उन पर लागू होने वाले संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार तय होंगी, और ऐसे अधिकारियों को संहिता की धारा 34 की उप–धारा (5) के प्रयोजनार्थ आवश्यक योग्यताएं धारित करने वाला माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026-220/श्र०सं०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2026

एस० ओ० 220, एस० ओ० 219, दिनांक 28 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–221/श्र०सं०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

Labour Resource and Migrant Labour Welfare Department

Notification

28th September 2026

S. O. 219 dated 28th September 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 of Section-34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and Rule 32(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026, for the purposes of the Code, in respect of those factories for which the State Government is the appropriate Government, the Governor of Bihar is pleased to appoint the Chief Inspector of Factories, Bihar, as the Chief Inspector-cum-Facilitator.

2. The qualifications of the Chief Inspector-cum-Facilitator shall be determined according to the respective service rules applicable to them, and such officers shall be deemed to possess the necessary qualifications for the purposes of sub-section (5) of Section 34 of the Code.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026,-220/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1162—571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in